भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1337

19 दिसम्बर, 2022 को उत्तर के लिए

शहरी परिवहन संस्थान को सहायता प्रदान करना

1337 श्री एस. निरंजन रेड्डी:

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या व्यापक परिवहन योजना बनाने में मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर के सुविधा केन्द्र के रूप में उभरने में सहायता प्रदान करने के लिए शहरी परिवहन संस्थान को कोई अतिरिक्त धनराशि प्रदान की गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इसी प्रकार के किसी अन्य संस्थान को राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति, 2014 के तहत यथा परिकल्पित किसी योजना के माध्यम से प्रोत्साहित किया गया है; और

(ग) क्या सरकार का शहरी परिवहन पेशेवरों का समूह बनाने के लिए स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर शहरी परिवहन संबंधी शैक्षणिक कार्यक्रमों का प्रावधान करने और इन्हें सुनिश्चित करने का विचार है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>

<u>आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री</u>

(श्री कौशल किशोर)

(क): जी, नहीं।

(ख): राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति, 2014 मौजूद नहीं है।

(ग): शिक्षा मंत्रालय ने सूचित किया है कि देश में शहरी परिवहन नियोजन तीन नियोजन एवं वास्तुकला विद्यालयों में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रमों का हिस्सा है।

कार्यक्रम का उद्देश्य क्षेत्रों में परिवहन और लोजिस्टिक्स प्लानिंग के संबंध में आने वाली जटिलताओं का समाधान करना और शहरों और क्षेत्रों को बेहतर बनाने के लिए नवाचारी दृष्टिकोण विकसित करना है। उक्त पाठ्यक्रम में शहरी परिवहन नियोजन, विवेकपूर्ण परिवहन व्यवस्थाएं, लोजिस्टिक्स और फ्रेट प्रबंधन, समरूपता और गतिशीलता नियोजन, उभरती डिजिटल प्रवृत्तियां भी शामिल हैं ताकि शहरी परिवहन के क्षेत्र में शहरी परिवहन योजनाकारों, शहरी विकास के पेशेवरों और अनुसंधानकर्ताओं को तैयार किया जा सके ।

****